

## राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 232/2010

1. छोटूराम पुत्र श्री बीरबल
2. लीलाराम पुत्र श्री बीरबल राम
3. शीशराम पुत्र श्री बीरबल राम
4. जयमल पुत्र श्री बीरबल राम समस्त जाति गुर्जर निवासी कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

- ब न अ म -

1. चिड़िया देवी पत्नी श्री पीतराम
2. श्रवण देवी पत्नी श्री मालाराम
  - 2/1. बनवारी पुत्र श्रवण देवी
  - 2/2. शिशराम पुत्र श्रवण देवी
  - 2/3. जवानाराम पुत्र श्रवण देवी
  - 2/4. इन्द्राज पुत्र श्रवण देवी
  - 2/5. बाबुलाल पुत्र श्रवण देवी
  - 2/6. धूमा पुत्री श्रवण देवी
  - 2/7. छोटी पुत्री श्रवण देवी
  - 2/8. फूली पुत्री श्रवण देवी
  - 2/9. घोघड़ी पुत्री श्रवण देवी
3. मालाराम पुत्र श्री हरनारायण
4. मथरा पुत्र श्री हरनारायण
5. रूड़ा पुत्र श्री हरनारायण
6. धुडाराम पुत्र श्री जयमल
7. दुलीचन्द पुत्र श्री जयमल
8. मिश्री बेवाह जयमल
9. मूला पुत्र श्री सुरजा
10. शेराराम उर्फ टोराम पुत्र श्री सुरजाराम
11. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री दोदीया उर्फ डेडा
12. गोपी पुत्र श्री रूघा जाति गुर्जर (मृत)  
समस्त जाति गुर्जर निवासी कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
13. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

उपस्थिति -

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता - वादीगण की ओर से ।
2. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता प्रतिवादीगण स. 1 व 2/1 लगाय 2/9 की ओर से
3. शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई  
दावा - धोषणात्मक , खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

-: निर्णय :-

दिनांक - 20.12.24

41  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्झुनू (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 14 दिनांक 09.01.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1644 दिनांक 05.06.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार, शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि हाल ख0 न0 44, 275, 279, 280, 395, 410, 411, 412, 413, 510/413, में अप्रार्थीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काशत अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

- :: आदेश ::-

“ अतः प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 का प्रतिवादी दावा डिक्री कर वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं. ख.न. 279 रकबा 0.62 हैं. ख.न. 280 रकबा 0.64 हैं. ख.न. 395 रकबा 0.72 हैं. ख.न. 410 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 411 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 412 रकबा 0.65 हैं. ख.न. 413 रकबा 0.90 हैं. ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैं. कित्ता 10 रकबा 8.05 हैं. में प्रतिवादी स. 1 को 1/10 एवं प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 को 1/10 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 के 1/5 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”



५१  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला इन्दौर (राज.) एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया है।

५१  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला इन्दौर (राज.) एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्डुनू (राज.)

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी-

राजस्व वाद सं:- 232/2010

निर्णय दिनांक:- 20.12.24

छोटूराम बनाम चिडियां आदि

दावा - धोषणात्मक , खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की ओर की ओर से श्री राजेश यादव की उपस्थिति में इस वाद को श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

“ अतः प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 का प्रतिवादी दावा डिक्री कर वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं. ख.न. 279 रकबा 0.62 हैं. ख.न. 280 रकबा 0.64 हैं. ख.न. 395 रकबा 0.72 हैं. ख.न. 410 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 411 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 412 रकबा 0.65 हैं. ख.न. 413 रकबा 0.90 हैं. ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैं. किता 10 रकबा 8.05 हैं. में प्रतिवादी स. 1 को 1/10 एवं प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 के 1/5 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 20.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पंकज शर्मा  
(पंकज शर्मा) बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
जिला झुन्डुनू (राज.)  
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना